ई–बुलेटिन

कृषिउद्यमी

प्रतीयमान अनुभव को बांटने वाला मंच

खंड V अंक 3

जून – 2013

प्रत्येक कृषक द्वारा बेहतर कृषि

इस अंक में :

- आठ नए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान कृषि-चिकित्सालय एवं कृषि-व्यापार केंद्र योजना में शामिल हुए
- माह का कृषिउद्यमी श्री शेक अकबरली
- एनटीआई तथा उनके अभ्यास – श्री माँ ग्रामोद्योग संस्थान, वाराणसी, उ. प्र
- आत्म मूल्यांकन तथा बाजार खोज परीक्षण

कृषिउद्यमी, मुफ्त हेल्पलाइन का उपयोग करें - 1800 –425-1556

" कृषि उद्यमिता एक ऐसा प्रतीयमान मंच है जहां कृषि उद्यमियों, बैंकरों, कृषि व्यवसाय कंपनियों, नोडल प्रशिक्षण संस्थानों, विस्तार कार्यकर्ताओं, शिक्षाशास्त्रियों, अनुसंधानकर्ताओं तथा कृषि व्यवसाय चिंतकों, जो देश में कृषि उद्यमिता विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, के अनुभवों को सबके साथ बांटा जाता है।

आठ नए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान एग्री -क्लीनिक एवं एग्री –बिजिनेस केंद्र योजना में शामिल हुए

।

एग्री -क्लीनिक एवं एग्री –बिजिनेस केंद्र (एसी एवं एबीसी) योजना आठ नए नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के जुडने से मजबूत बना है। एनटीआई संभावित कृषि उद्यमियों के प्रशिक्षण तथा हैंडहोल्डिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन नए एनटीआई से हजारों कृषि उद्यमियों को लाभान्वित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आठ नए एनटीआई पहचाने गए हैं:

1. सहकारी प्रबंध संस्थान (आईसीएम), गुवाहाटी, असम
2. सहकारी प्रबंध संस्थान (आईसीएम), भोपाल, म.प्र
3. उदयभान सिंह जी क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (यूआरआईसीएम), गांधीनगर, गुजरात
4. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय(यू ए एस), धारवाड़, कर्नाटक
5. इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, (आईजीकेवी), रायपुर, छत्तीसगढ़
6. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर, म.प्र
7. ग्रामीण विकास हेतु जागृति फ़ाउंडेशन, विसाखापटनम, आं. प्र

पूर्वाभिमुखीकरण विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र (सी-डॉट), नालंदा, बिहार

इनके जुडने से कुल एन.टी.आई की संख्या में 97 तक वृद्धि हुई है। मैनेज इन संस्थानों को बधाई देता है, उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वाशन देता है, और उनकी सफलता की कामना करता है। समझौता के ज्ञापन (एम ओ यू) लिखते ही, नोडल अधिकारियों के पूरे पते तथा उनके संपर्क विवरण वेबसाईट –www.agriclinics.net पर अपलोड किया जाएगा। अन्य विवरणों के लिए एसी एवं एबीसी के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्याशी उनसे संपर्क कर सकते हैं।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा में सतत मत्स्य-पालन केन्द्रों को प्रोत्साहित करने में श्री शेक अकबरली के नवोन्मेशन

श्री शेख अकबर अली अनोखे मत्स्य-पालन उद्योगी है। उनकी रुचि एवं उत्साह ने मत्स्य-पालन में उत्तम अभ्यासों के लिए अपने प्रयासों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा में 35,000 एकड़ जल क्षेत्र के अंतर्गत लगभाग 2000 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया। श्री शेख अकबर आली ने आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के कॉलेज ऑफ फिशरीस, मुतुकूर से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपने 2010 में बोज्जा वेंकट रेड्डी, एग्रीकल्चरल फ़ाउंडेशन, नंदयाल में एसी एवं एबीसी के तहत प्रशिक्षण प्राप्त की, जिसका मकसद मत्स्य पालन में उत्पादकता तथा आय में बढ़ोत्तरी लाने हेतु उद्यमी कौशल प्राप्त करना था। आपने 'इन्फॉर्मेशन एंड इनपुट्स फॉर ससटेनेबल एक्वाकल्चर (आईआईएसए) के नाम से एक मत्स्य पालन परामर्शी सेवा फ़र्म को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के आकिवीडु गांव में प्रारम्भ किया था। जिसका उद्देश्य सतत मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालन संबंधी सभी क्रियाकलापों हेतु परामर्शी तथा प्रयोगशाला की सेवाएँ प्रदान करना है।

एसी एवं एबीसी प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त व्यावसायिक ज्ञान एवं उद्यमी कौशलों के साथ शेख अकबर अली अपनी परामर्शी सेवा फ़र्म, आईआईएफएसए के माध्यम से मत्स्य पालन में निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

- तालाब से - प्रयोगशाला से - तालाब सेवा: जिसमें पंद्रह दिनों में एक बार क्षेत्र एजेंट मत्स्य नमूने प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु लाते हैं। प्रयोगशाला में विस्तृत विश्लेषण के बाद, फोन पर या मुद्रित रूप में सलाह दिया जाता है। किसान अनुसार फार्म अभिलेखों का रख-रखाव किया जाता है।
- सूचना तकनीक आधारित सेवाएँ: टेली एक्वा सॉफ्टवेर के साथ जिसकी सहायता से मत्स्य पालन कर रहे किसान अपनी ही जगह पर आवश्यक सलाह प्राप्त कर सकते हैं तथा मछली पालन प्रक्रियाएँ संबंधी नवीनीकृत सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

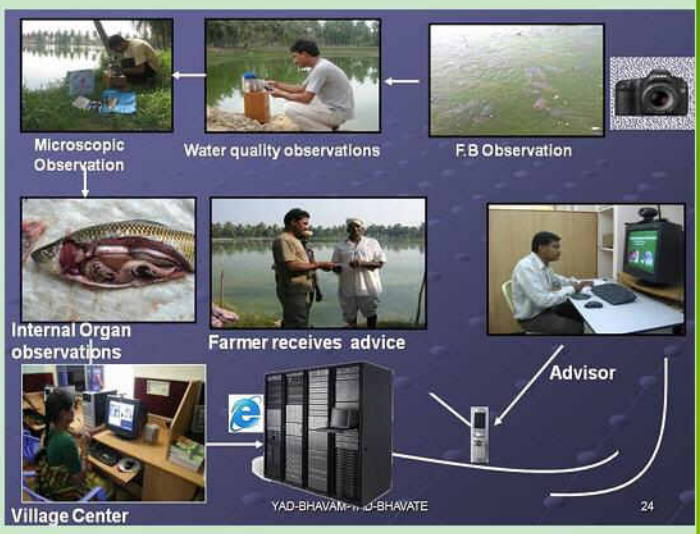

आपातकाल प्रबंधन सूचना सेवा (ईएमई): इस सेवा के तहत मछुवारे, जिनके तालाब किसी रोग से प्रभावित हुए हैं, द्वारा प्राप्त फोन कॉल कम्प्युटर सिस्टम द्वारा प्राप्त कर सुरक्षित रखा जाता है। तब यह सूचना क्षेत्र विशेषज्ञ को पहुंचाया जाता है तथा विलीन ऑक्सीज़न की मात्रा, पीएच, खारापन, तापमान आदि मापदण्डों हेतु तालाब के पास ही जल का परीक्षण किया जाता है तथा अन्य विश्लेषण हेतु जल, प्लवक, मृदा के नमूनों को प्रयोगशाला में लाया जाता है।परीक्षण के पश्चात, प्रयोगशाला विश्लेषण के आधार पर, मत्स्य पालक किसान को टेलीफोन मोबाइल पर सलाह दिया जाता है। सभी मछली के प्रकार संबंधी मछली पालन तालाबों के निवेश तथा उत्पादनों को बेचना तथा खरीदना।सामान्य प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन की बढ़ोत्तरी तथा अनुकूलन के लिए चालू मत्स्य पालन परियोजनाओं का मूल्यांकन।

- परामर्शी सेवाएँ: मोनोकल्चर या पोलिकल्चर के लिए अनुकूल प्रजातियों के चयन हेतु, खुदाई के द्वारा कम लागत के मत्स्य पालन व्यवस्थाओं को विकसित करना तथा मत्स्य रोगों की पहचान, निवारण एवं नियंत्रण हेतु परामर्शी सेवाएँ प्रदान की जाती है।

कवरेज: 50 गावों से अधिक के साथ 2000 किसानों को परामर्शी तथा प्रयोगशाला सेवाएँ प्रदान किए जाते हैं।

विक्रय राशि (टर्नोवर): वर्तमान में फ़र्म का वार्षिक टर्नोवर कुल आय रु. 12 लाख के साथ रु. 64 लाख है।

रोजगार: आठ कुशल श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से तथा 25 को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाता है।

भविष्य योजनाएँ: श्री अकबरी अली सरकारी निजी भागीदारीता के आधार पर राज्य सरकारों को सम्मिलित कर तथा अंतर्राष्ट्रीय सूचना तकनीक संस्थाओं के सहयोग से देश भर में इसी प्रकार के सेवा केन्द्रों को खोलने की कल्पना करते हैं। उनका उद्देश्य राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन की विशेषता, मानव पौष्टिकता तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में दीर्घकाल तक चलने वाले व्यापारों को बढ़ाने में तकनीकी उपकरणों की उपयोगिता पर जानकारी प्रदान करना है। अन्य विवरणों के लिए श्री अकबर अली से उनके मोबाइल संख्या 09000948599 तथा ई-मेल: liftsaoffice@gmail.com ,akbar@liftsaoffice.in पर संपर्क किया जा सकता है।

श्री माँ गुरु ग्रामोद्योग संस्थान (एसएमजीजीएस), वाराणसी, उ.प्र द्वारा किए गए नवोन्मेशी पहल

श्री माँ गुरु ग्रामोद्योग संस्थान, जिसका मुख्यालय, वाराणसी, उ.प्र में है, देश के नामी नोडल प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। इस योजना की प्रांभिक दशा में पहचाने गए संस्थानों में से एसएमजीजीएस एक है जो मैनेज के साथ वर्ष 2003 से जुड़ा हुआ है। स्कीम के साथ सहयोग के एक दशक में ही, एसएमजीजीएस ने 102 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिनमें से 90 कार्यक्रम एसएमजीजीएस, वाराणसी द्वारा ही आयोजित किए गए हैं तथा अन्य का आयोजन उनका झाँसी उप-केंद्र द्वारा किया गया, जोकि एनटीआई के रूप में वर्ष 2010 से जुड गया। इन दो केन्द्रों से, कुल मिलकर, 3500 आवेदकों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 2078 कृषि उद्यमियों ने स्वयं के उद्यमों की स्थापना की जो मोबाइल पशु चिकित्सालय से लेकर, कृषि क्लीनिक, बागवान एकक से कृषि व्यापार केन्द्रों तक व्याप्त है। आगे अखिल भारतीय एसी व एबीसी डेटाबेस से पीटीए चलता है, की प्रशिक्षण प्राप्त कुल एग्रीप्रेन्यूरो से 10 प्रतिशत से अधिक तथा 16 प्रतिशत से स्थापित एग्रीवेंचरों से अधिक एसएमजीजीएस की यह उपलब्धि उनकी निष्ठा, सेवापरता तथा संगठन के नवोन्मेशी पहलों के कारण ही हुआ है जोकि सराहनीय है और अन्य एनटीआई द्वारा अनुकरणीय है। एसएमजीजीएस द्वारा अनुसारित कुछ नवोन्मेशी विधियाँ नीचे दी जा रही हैं, जिंका अनुसरण एनटीआई द्वारा किया जाता है।

- एसी व एबीसी योजना के तहत नए प्रशिक्षण बैच के लिए आवेदकों को लेते समय, एसएमजीजीएस के अधिकारी रुचि दिखाने वाले आवेदकों के माता-पिता से मिलते हैं। ताकि उन्हें इस योजना संबंधी पूर्ण जानकारी प्रदान करें जिससे कि आवेदकों को उनके परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो सके। यह अभिगम आवेदकों को प्रोत्साहित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।
- एसएमजीजीएस प्रत्येक गावों में हर 5-6 एग्रीप्रेन्यूरो के लिए एक नेता के साथ विशेष नेटवर्क को स्थापित किया। गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण तथा उद्यमिता कौशलों के विकास के बाद आवेदक लगभग 1000 ग्रामीण जनता के साथ अपने अपने केन्द्रों को स्थापित करते हैं। किसानों के लिए सतत कृषि विकास, मृदा परीक्षण से लेकर फ़सलोत्तर प्रबंशन तक आवश्यक सेवाओं को किसानों की दहलीज़ पर उपलब्ध कराते हैं।
- कई बार आवेदकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण यथा एसी व एबीसी के 60 दिनों की निर्धारित से अधिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके द्वारा विशेष विषय संबंधी जानकारी या विशेष विषय पर अधिक स्तरों की मांग की जाती है।
- एसएमजीजीएस ने सविवरण परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय विशिष्ट रूप से सलाह देने की विधि को प्रारम्भ किया है। प्रशिक्षणार्थियों की अभिगम शक्ति के आधार पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण को दो फ़ेसों में बांटा गया है। पहली फेस में आवेदकों को ऋण का कुछ हिस्सा जैसे रु. 5 से 10 लाख लाने को कहा जाता है जिससे उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और प्रारम्भ में कम इनपुटों को बेचने के साथ कृषि क्लीनिक स्थापित करने को कहा जाता हैं जैसे गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि। एग्रीप्रेन्यूर को इसे कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए चलना पड़ता है। इस अवधि के दौरान एग्रीप्रेन्यूर सेवा खेत में किसानों को क्या चाहिए या किसकी अत्यंत आवश्यकता है को सीखते हैं। इस चरण के बाद एग्रीप्रेन्यूर विद्यमान एग्रीक्लीनिक एवं एग्रीबिसीनेस केंद्र को व्यापक बनाने के लिए द्वितीय परियोजना तैयार करता हैं या योग्यतानुसार ऋण पाकर संबन्धित क्रियाकलापों की ओर विविधता को अपनाता है।
- प्रशिक्षण अवधि के बाद, एग्रीप्रेन्यूरो को कम से कम 10-15 किसानों से हर दिन विचार विमर्श करने एवं उनकी दैनिक समस्याओं को जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। किसानों को एग्रीप्रेन्यूरो का मोबाइल नंबर दिये जाते हैं ताकि वे अपनी दैनिक समस्याओं की चर्चा एग्रीप्रेन्यूरो से कर सके। श्री चिरंजीव सिंह, मुख्य समन्वयक/निदेशक एसएमजीजीएस का यह कहना है कि "हम इसका अनुवीक्षण एग्रीप्रेन्यूरो के साथ गावों का दौरा कर तथा किसानों से दौरों की पुष्टि लेकर करते हैं।
- निर्धारित एक वर्ष की अवधि के ऊपर एग्रीप्रेन्यूरो को हैंडहोल्डिंग दिया जाता हैं।
- एसएमजीजीएस स्थानीय बैंकों के साथ हर महीने एक बैठक करता हैं ताकि अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करें तथा उन्हें योजना के निर्देशों की जानकारी प्रदान कर सके एसएमजीजीएस के वरिष्ठ कर्मचारी भी बार-बार क्षेत्रीय/मुख्यालयों का दौरा करते हैं ताकि एसी व एबीसी के तहत प्रस्तुत किए गए ऋण प्रस्तावों पर निर्णय की प्रक्रिया को शीघ्र कर सकें। एक महत्वपूर्ण अभ्यास जो एसएमजीजीएस योजना के प्रारम्भ से ही अपना रहा है, वह है कि वे आवेदकों की उपस्थिती 100 प्रतिशत न रहने पर तथा एसएमजीजीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं जो की योजना के निर्देश सूत्रों में 60 प्रतिशत में नहीं है अंक प्राप्त न करने पर प्रशिक्षण प्रमाण पीटीआर नहीं देते हैं। अन्य विवरणों के लिए मोबाइल संख्या 09919802325, तथा ई-मेल: smggsvan@rediffmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

Mr. S. P. Singh, Nodal Officer

मार्केट सर्वेक्षण, हेण्ड्स ऑन एक्सपिरियन्स तथा सविवरण परियोजना रिपोर्ट तैयारी के समय एग्रीप्रेन्यूरो द्वारा उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न

- एग्री क्लीनिक/एग्री बिसिनेस केंद्र प्रारम्भ करने के लिए मेरी क्या-क्या शक्तियाँ हैं ?
- मैं किन कृषि-उत्पादों का उत्पादन/क्रय करूंगा ? और मैं किस प्रकार के कृषि विस्तार सेवाओ को प्रदान करूंगा ?
- मेरे लक्ष्यगत किसान कौन है और वे क्या चाहते हैं और वे कहाँ स्थित हैं ?
- मेरी परियोजना लक्ष्यगत किसानों की विस्तार उद्देश्य की पूर्ति कैसे करेगी ?
- कितने किसानों को मेरे उत्पाद/सेवा में रुचि हैं ?ये किसान मेरे उत्पादों को क्यों खरीदेंगे या मेरी सेवाएँ लेंगे ?
- क्या मुझे मशीनरी/उपकरण चाहिए ? वे कहाँ उपलब्ध होंगे और किस दर पर ?
- मैं अपने बिसनेस को कहाँ स्थापित करूंगा? स्थान के लाभ क्या होंगे ?
- क्या मुझे कुछ भूमि चाहिए ? यदि हाँ, तो कितना, अपना हो या लीज पर लिया जा सकता है ?
- क्या कच्चा समान उपलब्ध है? यदि हाँ, तो उसका श्रोत क्या है यदि न तो विकल्प योजना क्या है ?
- एक वर्ष में कितने महीने मुझे कच्चे माल की आवश्यकता है ?
- क्या मुझे परिवहन समर्थन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की?
- मुझे क्या-क्या बाजार के लाभ है ?मैं इस लक्ष्यगत समूह को लाभ के साथ सेवा कर पाऊँगा ?
- मैं अपने उत्पाद/सेवाओं को इन किसानों में कैसे बाटुंगा ? मुझे कब तक बाजार का लाभ प्राप्त होगा ?
- लक्ष्यगत क्षेत्र में मेरे प्रतिस्पर्धी कौन हैं और वर्तमान बाजार में उनका क्या शेयर हैं ? यदि हो तो, इस प्रतिस्पर्धा से मैं कैसे निपटुंगा ?मैं अपना उत्पाद/सेवा के लिए क्या रकम चार्ज करूंगा और कब तक ?
- क्या मैं आवश्यक राशि स्वयं जुटा पाऊँगा या बैंक पर निर्भर रहूँगा ?
- क्या मैं आवश्यक उपांतीय राशि को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनो को जुटाने के लिए तैयार हूँ ? यदि हाँ, तो किस श्रोत से ?यदि परियोजना दर रु. 5 लाख से ज्यादा हो तो मुझे क्या सुरक्षाएं प्राप्त है ?
- क्या मेरे पास अपने कृषि व्यापार को समर्थन देने वाले कुशल कर्मी उपलब्ध हैं ?
- क्या मुझे अपने व्यापार को चलाने के लिए कोई लाइसेन्स की जरूरत है? यदि हाँ, तो वे क्या-क्या हैं ?
- मेरे कृषि व्यापार के लिए अन्य विधि तथा परिचालन आवश्यकताएँ की हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए।
- मेरे कृषि व्यापार को समर्थन देने वाले अन्य केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाएँ क्या-क्या है ?
- क्या मेरे व्यापार को व्यापक बनाने के लिए किसी अन्य कृषि व्यापार कंपनी के साथ साझेदारी कर सकता हूँ ?

इस अभ्यास को प्रशिक्षण के दौरान सभी एनटीआई द्वारा अपनाया जा सकता है ?

www.agriclinics.net वह पोर्टल है जो एसी तथा एबीसी योजना के बारे में सूचना प्रदान करता है। यह पोर्टल पात्रता मानदंडों, प्रशिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सहायता कार्यों, वित्त विकल्पों तथा भावी उद्यमियों को सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में अद्यतन जानकारी देता है।यह वेबसाइट स्थापित कृषि नव उद्यमों, लंबित परियोजनाओं, संबंधित योजनाओं के ब्यौरों से संबंधित सूचना तथा राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों, बैंकों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा कृषि उद्यमियों के लिए उपयोगी सूचना भी प्रदान करती है।

एग्री क्लीनिकों तथा एग्रीबिजनेस केंद्रों के संबंध में अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया इस पते पर मेल करें। indianagripreneur@manage.gov.in

"प्रत्येक कृषक द्वारा बेहतर कृषि"

'कृषि उद्यमी' का प्रकाशन
श्री बी श्रीनिवास, आईएएस,
महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद द्वारा किया जाता है।

प्रमुख संपादक : श्री वी. श्रीनिवास, आईएएस
संपादक : डा. पी. चंद्रशेखर
सहायक संपादक : डा. लक्ष्मीमूर्ति
: **सुश्री ज्योति सहारे**

हमें संपर्क करें
कृषि उद्यमिता विकास केंद (सीएडी) राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन विस्तार संस्थान (मैनेज), राजेन्द्र नगर, हैदराबाद,
पिन–500030 आन्ध्र प्रदेश, भारत
हेल्पलाइन नं. : 1800 425 1556 (टोल फ्री)
ईमेल: helplinecad@manage.gov.in